

उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3
संख्या-आई/1208723/2026/60-3099/192/2025
लखनऊ: दिनांक: 19 जनवरी, 2026

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या-11 सन् 1973) की धारा-53 में वर्णित छूट संबंधी प्राविधान के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल, जनपद गाजियाबाद के सूर्यनगर में कामकाजी महिला छात्रावास के निर्माण हेतु उ०प्र० विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधियाँ तथा आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स, 2025 के प्राविधानों के अनुसार अधिकतम क्रययोग्य एफ.ए.आर. 3.0 की अनुमन्यता हेतु आरोपित किये जाने वाले क्रययोग्य एफ.ए.आर. शुल्क से छूट प्रदान करने हेतु सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

पी० गुरूप्रसाद
प्रमुख सचिव

प्रतिलिपि:- संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, ऐशबाग, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधिसूचना को उत्तर प्रदेश के असाधारण गजट में दिनांक 19.01.2026 के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) में प्रकाशित करायें तथा गजट की मुद्रित 10-10 प्रतियां सम्बन्धित अधिकारियों एवं शासन को 100 प्रतियां उपलब्ध करायी जाए।

आज्ञा से,
राजेश कुमार राय
विशेष सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, महिला कल्याण विभाग, उ०प्र० शासन।
2. अध्यक्ष/मण्डलायुक्त, मेरठ मण्डल।
3. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
4. उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।
5. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
6. निदेशक, आवास बन्धु, उ०प्र० लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि कृपया अधिसूचना की प्रति आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की वेबसाइट पर तत्काल अपलोड कराने का कष्ट करें।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
Digitally signed by
(राजेश कुमार राय) RAJESH KUMAR RAI
Date: 19-01-2026
18:14:01